[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं0.67/2017- सीमाशुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 14 जुलाई, 2017

सा.का.नि.......(अ)- सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1), के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा, सा.का.नि. संख्या 123(अ), दिनांक 1 मार्च, 2005 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0. 25/2005-सीमाशुल्क, दिनांक 1 मार्च, 2005 में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है ; अर्थात्-

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, क्रम संख्यश 4 और इससे संबंधित प्रिवष्टियों हेतु, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)
"4.	8504 40	ऑटोमेटिक डेटा प्रोसेसिंग मशीनों और उनकी यूनिटों और सेलुलर मोबाइल फोन से भिन्न टेलीकम्यूनिकेशन आपरेटस से संबंधित स्टेटिक कनर्वटर”

[फा. सं0.354/20/2017-टीआरयू]

(गुंजन कुमार वर्मा)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पणी:- प्रधान अधिसूचना सं0. 25/2005-सीमाशुल्क, दिनांक 1 मार्च, 2005 सा.का.नि.संख्या 123(अ), दिनांक 1 मार्च, 2005 के तहत, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड-3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं0. 15/2012-सीमाशुल्क, दिनांक 17 मार्च, 2012, को सा.का.नि. 188 (अ), दिनांक 17 मार्च, 2012 के तहत संशोधन किया गया था ।